

RR No. 372
255-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 23 MAY 2011

—: आदेश :-

इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2011 दिनांक 19.4.2011 तथा दिनांक 5.3.2011 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	135/08	श्री अशोक कुमार शर्मा सहायक, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर	III/101 गांधीनगर	31.1.2017
2.	155/08	श्री पुष्पेन्द्र कुमार भट्ट निजी सहायक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तक्ता मुख्य मंत्री सचिवालय, जयपुर	ई-920 गांधीनगर	30.9.2018
3.	25/2011	डॉ० अंजू शर्मा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त 'जे', जयपुर	ए-19 जवाहरनगर	31.7.2031
4.	40/2011	श्री हंसराज मौणा आर.ए.एस. उपस्थापक अधिकारी, विभागीय जांच, शासन सचिवालय, जयपुर	ए-152 जवाहरनगर	30.6.2016

आज्ञा से

Dr

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटि से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटि द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गाँधीनगर/जवाहरनगर, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. श्री पुष्पेन्द्र कुमार भट्ट, निजी सहायक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्तक्ता मुख्य मंत्री सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् भूतल गांधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।

Oic(web.)
A
255-2011

Dr
20/5/11
Dr (M.A.)